

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2014/ ज्येष्ठ 2, 1936

No. 272]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2014/JYAISTHA 2, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन खंड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2014

सा.का.नि.351(अ).-केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के सुरक्षित प्रचालन के लिए प्रबंधन) नियम 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के सुरक्षित प्रचालन के लिए प्रबंधन) नियम, 2014 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के सुरक्षित प्रचालन के लिए प्रबंधन) नियम 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-
 - (अ) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- (छक) "संहिता" से पोतों के सुरक्षित प्रचालन के लिए और प्रदूषण निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन सभा के संकल्प संख्या ए 741(18) द्वारा अंगीकृत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता अभिप्रेत है;
 - (आ) (ख) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
- '(ज) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है जो किसी शिफ्ट या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति या वेयर बोट चार्टर की स्वामी है जो पोत के प्रचालन के लिए उत्तरदायी है; ';
- (इ) खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
- '(ण) "प्रमुख अननुरूपता" से कोई पहचान किया जा सकने वाला ऐसा विचलन, जो कार्मिकों या पोत की सुरक्षा को या पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है जिसके लिए तुरंत सुधारकारी कार्रवाई अपेक्षित है या संहिता की किसी अपेक्षा का प्रभावी और व्यवस्थित कार्यान्वयन का अभाव अभिप्रेत है;';
- (ई) खंड (ध) के पश्चात् निम्निलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

2151 GI/2014

'(धक) "मान्यता प्राप्त संगठन" से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1क) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है ;';

- 3. मूल नियमों के नियम 4 के खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
- " (iii) पोतों, कार्मिक और पर्यावरण को सभी पहचाने गए जोखिमों का निर्धारण करना और समुचित सुरक्षोपाय करना ;और " ;
 - 4. मूल नियमों के नियम 5 में,-
 - (अ) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् :-
- "(1) भारत सरकार के मुख्य सर्वेक्षक द्वारा कंपनी को, संहिता की अपेक्षाओं के अनुपालन के आरंभिक सत्यापन के पश्चात्, अनुपालना का एक अंतरिम दस्तावेज जारी किया जाएगा, इस प्रयोजन के लिए,-
- (क) ऑडिटर सत्यापित करेगा कि स्थापन और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करते हैं और ऐसे सत्यापन के समाधानप्रद रूप से पूरा होने पर, ऑडिटर केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; और
- (ख) ऐसी रिपोर्ट के समाधानप्रद पाए जाने पर, भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक प्ररूप 4 में अनुपालना का एक दस्तावेज जारी करेगा जो यथास्थिति निर्धारण पूरा होने की तारीख से यदि कोई प्रमुख अननुपालनाएं न हों, या मुख्य अननुपालनाओं को समाप्त करने की समाधानप्रद तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा ।";
 - (आ) उपनियम (6) में,-
- (।) आरंभिक भाग में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सर्वेक्षक" शब्द रखे जाएंगे;
- (II) खंड (ड.) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सर्वेक्षक" शब्द रखे जाएंगे;
- (इ) उप नियम (8) में , "सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र (एसएमसी) केन्द्रीय सरकार अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुपालन का प्रारंभिक सत्यापन करने के पश्चात् पोत के बारे में सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगी " शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति कोई सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र या कोई अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र क्रमशः मुख्य सर्वेक्षक द्वारा प्ररूप 3 या प्ररूप 1 में जारी किया जाएगा," शब्द रखे जाएंगे;
 - (ई) उपनियम (14) में,-
- (।) "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सर्वेक्षक" शब्द रखे जाएंगे;
- (॥) खंड (च) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सर्वेक्षक" शब्द रखे जाएंगे;
 - (उ) उपनियम (16) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(17) यदि कोई पोत उस समय जिस समय सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र का अवसान हो जाता है उस पत्तन पर नहीं है जहां उसका सत्यापन किया जाना है, तो मुख्य सर्वेक्षक सुरक्षा प्रमाणपत्र की वैद्यता का विस्तार कर सकेगा किंतु यह विस्तार केवल पोत को उस पत्तन तक यात्रा पूरी करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें उसका सत्यापन किया जाना है और यह केवल उन्हीं मामलों में किया जाएगा जहां ऐसा करना उचित और युक्तिसंगत प्रतीत होता है।
- (18) किसी सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र का विस्तार तीन मास से अनिधिक अविध के लिए नहीं किया जाएगा और वह पोत जिसको विस्तार प्रदान किया गया है उस पत्तन पर आगमन के पश्चात् जिसमें उसका सत्यापन किया जाना है ऐसे विस्तार के कारण, उस पत्तन को, नवीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र के बिना, छोड़ने के लिए हकदार नहीं होगा।
- (19) जब नवीकृत सत्यापन पूरा कर लिया जाता है तो नवीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र विद्यमान सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र के विस्तार प्रदान करने से पूर्व अवसान की तारीख से पांच वर्ष से अनिधिक अविधि के लिए वैध होगा।"
- (अ) मूल नियमों के नियम 6 में,-
- (अ) उपनियम (1) में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सर्वेक्षक" शब्द रखे जाएंगे;
 - (आ) उपनियम (2) में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर " भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक" शब्द रखे जाएंगे;
 - (आ) मूल नियमों के नियम 7 के उपनियम (2) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।
 - (इ) मूल नियमों के नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "10. शास्ति,-

कोई कंपनी जो इन नियमों के उपबंधों के अतिलंघन में किसी पोत का प्रचालन करती है अधिनियम की धारा 458 के उपनियम (2) खंड (ख) में यथा उपबंधित अनुसार जुर्माने से दंडनीय होगी।"

(ई) मूल नियमों में प्ररूपों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप 1 "

अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र

[भारत सरकार के मुख्य पर्यवेक्षक द्वारा समुद्र में जीवन की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 के नियम 5(8) के

उपबंधों के अधीन जारी]			
पोत का नाम: विशिष्ट संख्या या अक्षर: रजिस्ट्रीकरण का पत्तन:			
पोत की किस्म*: सकल टन भार: कंपनी का नाम और पता: कंपनी की पहचान संख्या:			
यह प्रमाणित किया जाता है कि आईएसएम संहिता के पैरा 14.4 की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है और कंपनी वे अनुपालना दस्तावेज/अनुपालना के अंतरिम दस्तावेज** पोत से सुसंगत हैं। सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र अनुपालना दस्तावेज/ अंतरिम अनुपालना दस्तावेज के वैद्य रहने की शर्त के अधीन रहते हुए -			
तक वैद्य है । सत्यापन के पूरा करने की तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित हैजारी करने की तारीख			
प्रमाण पत्र संख्या भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक			

~
भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक
्रार्य सर्गर का मुख्य सम्बन्ध
। ਸੀਰ ਸੀਰੇਕਟਰ ਸਟਾਹਿਟੇਆਰਾ ਸਮੁਕਟੇ
पोत परिवहन महानिदेशालय, मुम्बई

*निम्नलिखित यात्री पोतों में से पोत की किस्म लिखें : यात्री पोत, उच्च गति यात्री यान : उच्च गति स्थोरा या : थोक वाहक : तेल टैंकर: रसायन टैंकर: गैस वाहक: सचल अपतट भेदन इकाई: अन्य स्थोरा पोत । ** जो लागू न हो उसे काट दें।

अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की वैद्यता का ----- तक विस्तार किया जाता है

विस्तार की तारीख-----

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर या	भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक
स्टैंप	पोत परिवहन महानिदेशालय, मुम्बई

प्ररूप 2 अनुपालना का अंतिम दस्तावेज

[भारत सरकार के मुख्य पर्यवेक्षक द्वारा समुद्र में जीवन की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 के नियम 5(1) के उपबंधों के अधीन जारी]

कंपनी	का नाम	और पता:	
कंपनी	की पहच	ान संख्या∶	

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को पोतों के सुरक्षित प्रचालन और नीचे दिए गए पोतों की किस्म के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली (आईएसएम संहिता) के रूप में मान्यता दी गई है।

यात्री पोत,	
उच्च गति यात्री यान :	
उच्च गति स्थोरा :	
थोक वाहक :	
तेल टैंकर:	
रसायन टैंकर:	
गैस वाहक:	
सचल अपतट भेदन इकाई:	
अन्य स्थोरा पोत ।	
अनुपालना का अंतरिम दस्तावेज	नक तैरा है
•	•
सत्यापन के पूरा करने की तारीख, जिस पर यह प्रमाण	पत्र आधारित ह
में जारी	
जारी करने की तारीख	
प्रमाणपत्र संख्या	
जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर या	भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक
ŧŽių	पोत परिवहन महानिदेशालय, मुम्बई
, , ,	
	प्ररूप 3
9	रक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र
[भारत सरकार के मुख्य पर्यवेक्षक द्वारा समुद्र मे	ं जीवन की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 के नियम 5(8) के
उप	बंधों के अधीन जारी]
पोत का नाम:	
विशिष्ट संख्या या अक्षर:	
रजिस्ट्रीकरण का पत्तन:	
पोत की किस्म*:	
सकल टन् भार:	
आईएमओ संख्याः	
कंपनी का नाम और पता:	
कंपनी की पहचान संख्या:	
यह प्रमाणित किया जाता है कि पोत की सुरक्षा	प्रबंधन प्रणाली की परीक्षा ली गई है और यह पोतों के सुरक्षित प्रचालन
और प्रदूषण निवारण(आईएसएम संहिता) की	अपेक्षाओं का अनुपालन करती है कंपनी की अनुपालना के निम्नलिखित
सत्यापन दस्तावेज इस किस्म के पोत को लागू हं	ोते हैं
यह सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र आवधिक सत्यापन	की शर्त के अधीन रहते हुए और अनुपालना दस्तावेजों के वैद्य रहने तक-
तक वैध हैं ।	, G.
सत्यापन के पूरा करने की तारीख जिस पर यह !	प्रमाणपत्र आधारित है
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
÷ 	
में जारी 	
जारी करने की तारीख	
प्रमाणपत्र संख्या	

•	~
। प्रमाण पत्र संख्या	भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक
। प्रमाण पर्य संख्या	। मारत त्तरभार भग मुख्य त्त्रप्राभ
	9
	पोत परिवहन महानिदेशालय, मुम्बई
	। पात पारवहन महानिद्धालय मम्बड
I .	1 114 11/16 1 1611/14/11/14/1/14

*निम्निलिखित यात्री पोतों में से पोत की किस्म लिखें : यात्री पोत, उच्च गित यात्री यान : उच्च गित स्थोरा या : थोक वाहक : तेल टैंकर: रसायन टैंकर: गैस वाहक: सचल अपतट भेदन इकाई: अन्य स्थोरा पोत । प्रमाणपत्र संख्या की वैद्यता का -------

मध्यवर्ती सत्यापन और अतिरिक्त सत्यापन (यदि अपेक्षित हो) का पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभिसमय के अध्याय 9 के विनियम 6.1 के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के पैरा 13.8 के अनुसार सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसएम संहिता की अपेक्षाओं को पूरा करती थी ।

मध्यवर्ती सत्यापन (दूसरी और तीसरी वर्षगांठ	हस्ताक्षर
तारीख के बीच पूरी की जानी है)	
	(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
मुहर:	स्थान
	तारीख
अतिरिक्त सत्यापन*	हस्ताक्षर
	(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
	स्थान
	तारीख
अतिरिक्त सत्यापन*	हस्ताक्षर
	(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
	स्थान
	तारीख
अतिरिक्त सत्यापन*	हस्ताक्षर
	(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
	स्थान
(मुहर)	तारीख

^{*}यदि लागू हो। संगठनों द्वारा संकल्प संख्या ए-1022(26) द्वारा अंगीकृत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) संहिता के प्रशासकों द्वारा कार्यान्वयन पर पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांतों के "आरंभिक सत्यापन" की धारा 3.2 के सुसंगत उपबंधों को निर्दिष्ट किया जाता है।

प्ररूप 4

अनुपालना दस्तावेज

[भारत सरकार के मुख्य पर्यवेक्षक द्वारा समुद्र में जीवन की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1974 के नियम 5(1) के उपबंधों के अधीन जारी]

कंपनी का नाम और पता	
कंपनी की पहचान संख्या	
3	सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की परीक्षा कर ली गई है और यह निम्नलिखित किस्म के पोतों
	ु । (आईएसएम संहिता) की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है (जो लागू न हो उसे काट
दें)	
योत्री पोत,	
उच्च गति यात्री यान :	
उच्च गति स्थोरा :	
थोक वाहक :	
तेल टैंकर:	
रसायन टैंकर:	
गैस वाहक:	
सचल अपतट भेदन इकाई:	
अन्य स्थोरा पोत ।	
अनुपालना का यह दस्तावेज	तक वैद्य है
सत्यापन के पूरा करने की तारीख जिस प	र यह प्रमाणपत्र आधारित है ।
में जारी	
जारी करने की तारीख	
प्रमाणपत्र संख्या	
प्रमाण पत्र संख्या	भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक
	पोत परिवहन महानिदेशालय, मुम्बई

प्रमाण पत्र संख्या

वार्षिक सत्यापन के लिए पृष्ठांकन यह प्रमाणित किया जाता है कि अभिसमय के अध्याय 9 के विनियम 6.1 और आईएसएम संहिता के पैरा 13.4 के अनुसरण में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली उक्त संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए पाई गई है ।

पहला वार्षिक सत्यापन	हस्ताक्षर
	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
	स्थान
मुहर:	तारीख
दूसरा वार्षिक सत्यापन	हस्ताक्षर
	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
	स्थान
 मुहर:	तारीख

	T
तीसरा वार्षिक सत्यापन	हस्ताक्षर
	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
	स्थान
 मुहर:	तारीख
• .	
अतिरिक्त सत्यापन	हस्ताक्षर
	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
	स्थान
	तारीख
मुहर:	
अतिरिक्त सत्यापन	हस्ताक्षर
	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
	स्थान
пат.	तारीख
मुहर:	

11. उक्त नियमों में, "आवधिक सत्यापन और अतिरिक्त सत्यापन (यदि अपेक्षित हो तो) " प्ररूप के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रमाणपत्र संख्या

> हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर स्थान------

> > तारीख-----

(जो भी लागू हो उस प्राधिकारी की मुहर या स्टैंप) । "

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 432(अ) तारीख 12 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 388, तारीख 11 सितंबर, 2002 और सा.का.नि. 196, तारीख 28 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

[फा.सं.एस आर-12011/5/2010- एम जी] एम. सी. जौहरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2014

- **G.S.R. 351(E).**-In exercise of the powers conferred by Section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Merchant Shipping (Management for the Safe Operation of Ships) Rules, 2000, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Management for the Safe Operation of Ships) Amendment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Merchant Shipping (Management for the Safe Operation of Ships) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-
 - (A) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-
 - (ga) "Code", means the International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention as adopted by Resolution A. 741(18) by the International Maritime Organisation Assembly;
 - (B) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely;-
 - '(h) "company" means a company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956, who is the owner of the ship or any other organisation or person or the bareboat charterer, responsible for the operation of the ship;';
 - (C) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-
 - '(o) "major non-conformity" means an identifiable deviation that poses a serious threat to the safety of personnel or the ship, or a serious risk to the environment that requires immediate corrective action or the lack of effective and systematic implementation of a requirement of the Code;';
 - (D) after clause (s), the following clause shall be inserted, namely:-
 - '(sa) "recognised organisation" means a person or body of persons, notified
 - under sub-section (1A) of Section 9 of the Act;'.
 - 3. In the principal rules, in rule 4, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(iii) assessing all identified risks to the ships, personnel and the environment and establishing appropriate safeguards; and";
 - 4. In the principal rules, in rule 5,-
 - (A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) An Interim Document of Compliance shall be issued by the Chief Surveyor with the Government of India to a company after an initial verification of compliance with the requirements of the Code, for which purpose,-
 - (a) the auditor shall verify that the establishment and implementation of the Safety Management System meet the objectives specified in rule 3, and on satisfactory completion of such verification, the auditor shall present a report to the Central Government; and
 - (b) where such report is found satisfactory, the Chief Surveyor with the Government of India shall issue a Document of Compliance in Form-4, valid for a period of five years from the date of completion of assessment if there are no major non-conformities, or from the date of satisfactory closure of major non-conformities, as the case may be.";
 - (B) in sub-rule (6), -
 - (I) in the opening portion, for the words "Central Government", the words "Chief Surveyor" shall be substituted;
 - (II) for clause (e), for the words "Central Government", the words "Chief Surveyor" shall be substituted;
 - (C) in sub-rule (8), for the words "A Safety Management Certificate (SMC) shall be issued by the Central Government", the words "A Safety Management Certificate or an Interim Safety Management Certificate,

as the case may be, shall be issued by the Chief Surveyor in Form 3 or in Form 1 respectively by the Chief Surveyor" shall be substituted;

- (D) in sub-rule (14),
- (I) for the words "Central Government", the words "Chief Surveyor" shall be substituted;
- (II) for clause (f), for the words "Central Government", the words "Chief Surveyor" shall be substituted;
- (E) after sub-rule (16), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
 - "(17) If a ship at the time when a Safety Management Certificate expires is not in a port in which it is to be verified, the Chief Surveyor may extend the period of validity of the Safety Management Certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be verified and only in cases where it appears proper and reasonable to do so.
 - (18) No Safety Management Certificate shall be extended for a period longer than three months, and the ship for which an extension is granted shall not, on its arrival at the port in which it is to be verified, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a renewed Safety Management Certificate.
 - (19) When the renewal verification is completed, the renewed Safety Management Certificate shall be valid for a period not exceeding five years from the expiry date of the existing Safety Management Certificate before the extension was granted."
 - (A) In the principal rules, in rule 6,-
- (A) in sub-rule (1), for the words "Central Government", the words "Chief Surveyor" shall be substituted;
- (B) In sub-rule (2), for the words "Central Government", the words "Chief Surveyor" with the Government of India shall be substituted.
 - (B) In rule 7 of the principal rules, in sub-rule (2), the Explanation shall be omitted.
 - (C) In the principal rules, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:-
- "10. Penalty. –

Any company which operates a ship in contravention of provisions of these rules shall be punishable with fine as provided in clause (b) of sub-rule (2) of Section 458 of the Act.".

(D) In the principal rules, for the forms the following forms shall be substituted, namely:-

"FORM - 1

INTERIM SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under rule 5 (8) and the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974]

Distinctive Number or letters:		
Port of Registry:		
Type of Ship*:		
Gross Tonnage:		
IMO Number:		
Name and Address of Company:		
Company Identification No:		

This is to certify that the requirements of paragraph 14.4 of the ISM Code have been met and that the Document of compliance/Interim Document of Compliance** of the Company is relevant to the ship.

This Interim Safety Management Certificate is valid until...... subject to the Document of Compliance/Interim Document of Compliance** remaining valid.

Completion date of the verification on which this certificate is based.....

Issued at

Date of issue

Name of Ship:

Certificate No	
	Chief Surveyor with the Govt. of India Directorate General of Shipping, Mumbai
(Seal or stamp of issuing authority)	
*Insert the type of ship from among the following: Passenger Ship: Passe Craft: Bulk Carrier: Oil Tanker: Chemical Tanker: Gas Carrier: Mobile Offsh	
**Delete as appropriate	
The validity of this Interim Safety Management Certificate is extended to Date of extension	
Chief Surveyor wi General of Shippin	ith the Govt. of India Directorate ng, Mumbai
(Seal or stamp of the issuing authority)	
FORM- 2	
INTERIM DOCUMENT OF COMPLE	IANCE
[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under rule 5 (Convention for the Safety of Life at Sea	
Name and Address of the Company:	
Company Identification Number:	
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the cobjectives of paragraph 1.2.3 of the International Management Code for the Prevention (ISM Code) for the type(s) of ships listed below:	
(Delete as appropriate)	
Passenger ship Passenger high-speed craft Cargo high-speed craft Bulk carrier Oil tanker Chemical tanker Gas carrier Mobile offshore drilling unit Other cargo ship	
This Interim Document of Compliance is valid until	
Completion date of the verification on which this certificate is based	
Issued at	
Date of issue	
Certificate No.	
	Chief Surveyor with the Govt. of India Directorate General of Shipping, Mumbai

(Seal or stamp of issuing authority)"

FORM - 3

SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under rule 5 (8) and the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974]

Name of Ship:	
Distinctive Number or Letters:	
Port of Registry:	
Type of ship*:	
Gross Tonnage:	
IMO Number:	
Name and Address of Company:	
Company Identification Number:	
with the requirements of the International Management C	ement System of the ship has been audited and that it complies ode for the Safe Operation of ships and for Pollution Prevention Compliance for the Company is applicable to this type of ship.
This Safety Management Certificate is valid Document of Compliance remaining valid.	untilsubject to periodical verification and the
Completion date of the verification on which this certification	ite is based
Issued at	
Date of issue	
Certificate No.	
(Seal or stamp of issuing authority)	Chief Surveyor with the Govt. of India Directorate General of Shipping, Mumbai
	ssenger Ship: Passenger High-Speed Craft: Cargo High-Speed s Carrier: Mobile Offshore Drilling Unit: Other Cargo Ship.
Endorsement of Intermediate Verificat	tion and Additional Verification (if required)
	te verification in accordance regulation 6.1, Chapter IX of the fety Management Code, the Safety Management System was
Intermediate Verification	Signed
(to be completed between second and	(signature of the authorized official)
third anniversary date)	
	Place
	Date
(Stamp)	
Additional Verification*	Signed
	(signature of the authorized official)

	Place
	Date
(Stamp)	
Additional Verification*	
	Signed
	(signature of the authorized official)
	Place
	Date
(Stamp)	
Additional Verification*	
Signed	(signature of the authorized official)
	Place
	Date
FORM – 4	
DOCUMENT OF COMPI	LIANCE
[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under Convention for the Safety of Life	
Name and Address of the Company:	
Company Identification Number:	
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system complies with the requirements of the International Management Cooperevention (ISM Code), for the types of ships listed below: (Delete as	le for the Safe Operation of Ships and for Pollution
Passenger ship	
Passenger high-speed craft Cargo high-speed craft	
Bulk carrier	
Oil tanker Chemical tanker	
Gas carrier	
Mobile offshore drilling unit Other cargo ship	
This Document of Compliance is valid till	
Completion date of the verification on which this certificate is based	
Issued at	
Date of issue	

Certificate No.

(Seal or stamp of issuing authority) Certificate No. ENDORESEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with regulation 6.1, Chapter IX of the Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the said Code. 1st Annual Verification Signed		Chief Surveyor with the Govt. of India Directorate General of Shipping Mumbai
ENDORESEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with regulation 6.1, Chapter IX of the Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the said Code. 1st Annual Verification Signed	(Seal or stamp of issuing authority)	
THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with regulation 6.1, Chapter IX of the Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the said Code. 1st Annual Verification Signed	Certificate No.	
Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the said Code. 1st Annual Verification Signed	ENDORESEMENT FOR ANNUA	L VERIFICATION
Signed	Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety m	
(Stamp) 2nd Annual Verification Signed	1 st Annual Verification	
(Stamp) 2nd Annual Verification Signed		- C
(Stamp) 2nd Annual Verification Signed		Place
2nd Annual Verification Signed		Date
Signed	•	
(signature of the authorized official) Place	2 Annual Verification	Signad
(Stamp) 3rd Annual Verification Signed		
(Stamp) 3rd Annual Verification Signed		Place
3 rd Annual Verification Signed		Date
Signed	(Stamp)	
(Signature of the authorized official) Place Date (Stamp) Additional Verification Signed	3 rd Annual Verification	
Place		
(Stamp) Additional Verification Signed		,
(Stamp) Additional Verification Signed (signature of the authorized official)		
Additional Verification Signed (signature of the authorized official)	(Stamp)	
(signature of the authorized official)	-	
· ·		
Dlaca		
		Place
Date		Date
(Stamp)	•	
Additional Verification	Additional Verification	Signad
Signed (signature of the authorized official)		

(Stamp)

11. In the said rules, after the form "Endorsement for periodical verification and additional verification (if required)", the following new form shall be inserted, namely:—

Date.....

"	or	tif	ica	to 1	Nο

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of verification where Part B 13.12 of the International Safety Management Code applies or for a period of grace where Part B 13.14 of the said Code applies.

This certificate should, in accordance with part B 13.12 or part B 13.14 of the International Safety Management Code, be accepted as valid until......

Signed
(Signature of authorised official)
Place
Date

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)".

Note:-The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 432(E) dated the 12th May, 2000 and subsequently amended vide G.S.R 388 dated 11th September, 2002 and G.S.R. 196 dated 28th April, 2003.

[F. No. SR-12011/5/2010-MG]

M.C. JAUHARI, Jt. Secy.